न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 645/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
करणाराम पुत्र सुखाराम मेघवाल निवासी रिण, मलार तह0 फलौदी जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी (जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी दिनांक 26.10.21 राजस्व अपील सं0 17/2021 अनवान करणाराम बनाम राज0 सरकार

उपस्थित–
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.12.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अति0 जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 17/2021 अनवान करणाराम बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी में पारित आदेश दिनांक 26.10.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा नं0 101/2020 सरकार बनाम करणाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2020 द्वारा अपीलांट को संवत् 2077 में ग्राम रिण तहसील फलौदी स्थित राजकीय भूमि खसरा नं0 85 रकबा 4.00 बीघा किस्म चाही–III पर अतिचारी घोषित करते हुए बेदखली व आरोपित शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 17/2021 अपीलधीन निर्णय दिनांक 26.10.21 द्वारा अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेंट से काबिज एवं काश्त है तथा उक्त भूमि नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में दिनांक 26.3.21 को नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2020 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया गया था। पत्रावली कोविड–19 के कारण लंबित चल रही थी। इसी दौरान माह अक्टूबर से राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग प्रारम्भ हो गया तथा दिनांक 26.10.21 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित में अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। जिसमें अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही मिला और न ही नायब तहसीलदार फलौदी ने धारा 91 की कार्यवाही में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी बाबत अपील को पुनः ग्रहण कर मूल नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 23.11.21 को ही खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश न्याय एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी बाबत अपील को पुनः ग्रहण कर मूल नम्बर पर लेने के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को देखते हुए, उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 17/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.21 एवं आदेश दिनांक 23.11.21 निरस्त किये जाते है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मूल अपील को रेस्टोर कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

11.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर